मु. नं. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	04/24 ललिता देवी बनाम राज० सरकार/
3/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रा० वास्ते आदेश दिनांक 10/03/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
10/03/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 1/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
1/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
03/04/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रारंभिक खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता(आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 04 / 2024

1. ललितादेवी पत्नी विजयपाल जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
2. गोविन्द सिंह
3. प्रेम सिंह
4. लक्ष्मन सिंह पुत्रान चन्दनसिंह जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

दिनांकः—03.04.2025

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136,131 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी साविक खसरा नम्बर 1182 / 429 वाके ग्राम मुढेरा रकवा 0.13 विस्वा का सैटिलमैन्ट के दौरान नया खसरा नम्बर 516 रकवा 0.11है0 बनाया गया है प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की इस आराजी का 0.11है0 रकवा ग्राम पिचूना से ग्राम नेकपुर को शान्ति वन आश्रम होकर गुजरने वाले आम रास्ता के तरफ दक्षिण चपेटा स्थित है जिस पर प्रार्थीया ताहाल आज तक काविज होकर अपनी काश्त करती आ रही है। प्रार्थीया की आम रास्ता से चपेटा लगी उक्त आराजी साविक ख.नं. 1182 / 429 रकवा 0.13 विस्वा हाल ख.नं. 516 रकवा 0.11 है0 के तरफ दक्षिण में अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 4 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रकवा 0.10है0 स्थित है जो इसी मूल साविक खसरा नम्बर 429 का मिन रकवा है और जिसका सैटिलमैन्ट में हाल खसरा नं0 515 रकवा 0.10है0 बनाया गया है। अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का हाल खसरा नम्बर 515 रकवा 0.10है0 आम रास्ता से लगा हुआ नहीं है बल्कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त के हाल खसरा नम्बर 516 रकवा 0.11 हैक्टेयर के तरफ दक्षिण स्थित है, जिस पर अप्रार्थीगण ताहाल आजतक काबिजान है। मूल साविक खसरा नम्बर 429 का नक्शा में प्रार्थीया और अप्रार्थीगण के अलग—अलग काविज

GBharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

रकबा का अलग–अलग सीमांकन प्रदर्शित नहीं था, फिर भी प्रार्थीया के रास्ता से चपेटा लगे रकबा 0.13 विस्वा का 1182/429 ख0नं0 दर्ज रिकार्ड था। जिससे यह भी प्रकार प्रमाणित है कि प्रार्थीया का कब्जा आम रास्ता से चपेटा लगे 0.13 विस्वा रकबा पर था जो बदस्तूर आज तक चला आ रहा है जब कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के रास्ते से लगे रकबा से तरफ दक्षिण स्थित 0.10है0 रकबा पर काबिज चले आ रहे है। सैटिलमैन्ट सन् 2005 के दौरान सैटिलमैन्ट कर्मियों ने आराजी साबिक खसरा नम्बर 429 में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के अलग–अलग काबिज स्थान व रकबा की उचित जांच पडताल किये बिना और प्रार्थीया की बैक पर प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे की आराजी के साबिक खसरा नम्बर 1182/429 रकबा 0.13 विस्वा का नया खसरा नम्बर 516 रकबा 0.11है0 बना कर उसे नक्शे में आम रास्ता के सहारे चपेटा की बजाय इसके तरफ दक्षिण में स्थित अप्रार्थीगण के कब्जा वाले रकबा पर लापरवाही से गलत अंकित कर दिया है और इसी प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी के रकबा का नया खसरा नम्बर 515 रकबा 0.10है0 बना कर उसे नक्शे में प्रार्थीया के काबिज स्थान आम रास्ता के चपेटा गलत अंकित कर दिया है जब कि प्रार्थीया की खातेदारी हाल खसरा नम्बर 516 को रकबा 0.11है0 सहित आम रास्ता के सहारे अंकित करना चाहिये था तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 515 को इसके रकबा 0.10है0 सहित प्रार्थीया की खातेदारी के खसरा नम्बर 516 के तरफ दक्षिण को नक्शे में अंकित करना चाहिये था। इस प्रकार उक्त दोनों खसरा नम्बरान 515 व 516 की बाबत् नक्शे में अंकन पक्षकारान के कब्जा व रिकार्ड के विपरीत हो रहा है जिसकी जानकारी प्रार्थीया को दिनांक 03.04.2024 को होने पर उक्त अशुद्धि का शुद्धिकरण बाबत् तहसीलदार उच्चैन से कहा तो उन्होंने इस बावत् न्यायालय से आदेश लाने बावत् कहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर नक्शे को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि पटवारी हल्का से जांच कराई गई। मुताबिक जांच वाद के सन्दर्भ में वाके ग्राम मुढेरा में हाल खसरा नम्बर 515,516,517 के रिकार्ड व मौके की बिन्दूबार रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. आराजी ख.नं. 515 रकबा 0.10है0, 516 रकबा 0.11है0, ख.नं. 517 रकबा 0.10है0, वाके ग्राम मुढेरा जिसका पुराना ख.नं. 429 है, में से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अलग–अलग करते हुए बनाया गया है।
2. वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के अनुसार आराजी ख.नं. 515 रकबा 0.10 हैक्टे., गोविन्दसिंह प्रेमसिंह लक्ष्मनसिंह पि. चन्दनसिंह जाति धाकड सा. देह खातेदार राहिन हि. 2/3 गोविन्द सिंह प्रेमसिंह बीआरकेजीबी शाखा उच्चैन व ख.नं. 516 रकबा 0.11 हैक्टे. ललितादेवी पत्नी विजयपाल जाति धाकड सा. देह खातेदार व ख.नं. 517 रकबा 0.10 हैक्टे. तारादेवी पत्नी रामसहाय जाति धाकड सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

3. मौके की स्थिति अनुसार ख.नं. 515 से संबंधित खातेदार ख.नं. 517 पर काविजकाश्त है जबकि खसरा नम्बर 517 से संबंधित खातेदार ख.नं. 516 पर काविजकाश्त है जबकि ख.नं. 516 से संबंधित खातेदार ख.नं. 515 पर काविजकाश्त है।

4. चंकि उक्त ख.नं. भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराना ख.नं. 429 से बनाये गये है एवं ग्राम मुढेरा के पुरानी नक्शा लट्ठा में ख.नं. 429 की कोई भी तरमीम आदिनांक तक नहीं है। अतः उक्त स्थिति रिकार्ड अनुसार द्वन्द्वात्मक पतीत होती है।

5. चुकि मौके पर काविज काश्त विन्दू संख्या 3 अनुसार है। अतः संबंधित खसरा नम्बरान को आपस में प्रतिस्थापित करते हुये प्रार्थीया को अनुतोष दिया जाना उचित होगा।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी का पुरान साविक खसरा नम्बर 429 आम रास्ते के सहारे स्थित था एवं खसरा नम्बर 428 आम रास्ता था। खसरा नम्बर 429 में तीन हिस्सेदार है जिसमें प्रार्थीया रास्ते के पास वाले हिस्से पर काविज एवं वकाया 2 हिस्सेदार प्रार्थीया के दक्षिण में काविज है। प्रार्थीया का पुराना खसरा नम्बर 1182/429 था जिसका नया नम्बर 516 वनाया गया एवं उक्त खसरा नम्बर को विना मौका देखे सैटलमैन्ट विभाग द्वारा रास्ते से हटाकर दुसरे नम्बर पर रख दिया एवं खसरा नम्बर 515 को रास्ते के सहारे रख दिया। नक्शे में खसरा नम्बर 516 को मौके एवं कब्जे के अनुसार रास्ते के सहारे रकवा सहित प्रदर्शित कराया जाए। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा चाही गई दादरसी धारा 136,131 के तहत नहीं दी जा सकती है। मेरे विन्रम मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)